न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 42/19 **निर्णय दिनांकः 22.11.2019**

1. रामप्रताप पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी ग्राम तख्तपुरा हाल चक 5 टीएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 04—09—2019
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितः
1. श्री विजय पारिक, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के निर्णय दिनांक 04—09—2019 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा वादी/अपीलांट का वाद रिकार्ड व कानून के विपरीत जाकर खारिज फरमा दिया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही तख्तपुरा के पत्थर संख्या 22 व 36 की 24 बीघा 05 बिस्वा भूमि जिसके चकबन्दी होने पर मुरब्बा नम्बर 145/6 के बजाय मुरब्बा नम्बर 145/14 का अंकन कर दिया गया है जो गलत है। उक्त अंकन को दुरूस्त कराने की चिरनिषेधाज्ञा की मांग उक्त वादपत्र के माध्यम से की गई। उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट्स का वादगत् भूमि पर मौके पर मकान आदि बने हुए है इस प्रकार अपीलांट्स के परिवार व पशुओं की जीविका का एकमात्र साधन वादगत् भूमि पर कृषि कार्य है तथा रोजगार का कोई अन्य साधन नहीं है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि का आज दिनांक को भी गैर खातेदार है। जिससे स्पष्ट है कि वादगत् भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

[redacted] अपील अधिकारी
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने आगे बताया कि अपीलांट्स द्वारा वादगत् भूमि को काफी मेहनत व पैसा खर्च करके काबिल काश्त बनाया गया है। अदालत मातहत के समक्ष उक्त तमाम तथ्य उपलब्ध होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादी/स्टेट के जवाब के आधार पर अपीलांट्/वादी का वाद खारिज कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में ना तो कोई बयान लिये गये ना ही कोई साक्ष्य व सबूत लिये गये। जबकि अपीलांट्/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि के बाबत् तमाम राजस्व रिकार्ड भी प्रस्तुत किये गये थे।

उन्होंने आगे बताया कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर ना तो तनकीयात् कायम की गई ना ही साक्ष्य ही ली गई। जबकि दावे जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण में नियमानुसार तनकीयात् कायम की जानी व साक्ष्य जी जानी अपरिहार्य है। अपीलांट् द्वारा उक्त तथ्य अदालत मातहत के समक्ष दौराने बहस उठाये गये थे कि वे उनके समक्ष जैरक़ार प्रकरण में तनकीयात् कायम करते हुए व साक्ष्य लेते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। अदालत मातहत द्वारा इन सबके बावजूद बिना रिकार्ड का अवलोकन किये व दावे के आवश्यक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए रिकार्ड के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्/वादीगण का वाद वादग्रस्त भूमि के आराजीराज दर्ज होने के आधार पर खारिज किया गया है। जबकि अपीलांट द्वारा अपने वादपत्र में वादग्रस्त भूमि के गलत अंकन को सही कराने की इस्तदुआ की गई थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र अपीलांट के दावे को खारिज करने के उद्वेश्य मात्र से दावे के आज्ञापक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री अपूर्ण, तथ्यों के विपरीत व कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

उन्होनें आगे कथन किया अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में तमाम वांछित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। फिर भी अदालत मातहत द्वारा कानून एवं रिकार्ड के विपरीत जाकर उक्त निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। अपीलांट का वादगत् भूमि पर विधि सम्मत रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं हुआ है तथा ना ही कभी उसे मौके से बेदखल किया गया है। ऐसीस्थिति में अपीलांट उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के नियम 21 (1)(ए) के तहत वादग्रस्त भूमि के नियमन का भी पात्र है। लेकिन अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हुए

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो किसी भी स्थिति में कायम रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाते हुए अपीलांट् की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा जिस वादगत् के खातेदारी अधिकारों की धोषणा चाही गई है उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है। वादगत् भूमि पर अपीलांट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। तमाम राजस्व अभिलेखों से वादी/अपीलांट का वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त साबित नहीं होता है। अपीलांट/वादी द्वारा वादपत्र के माध्यम से राज्य सरकार की बेशकिमती भूमि पर खातेदारी अधिकारों की धोषणा चाही गई है। जिसका अपीलांट कतई अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा तमाम दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में वादी/अपीलांट ने उसे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये आवंटन आदेश के आधार पर राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार की धोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के आधार पर वाद पेश किया। राज्य सरकार की और से तहसीलदार, छत्तरगढ़ ने जवाब पेश किया। जिसके आधार पर तनकीयात् कायम की जाकर पक्षकारों की शहादत ली जानी थी। परन्तु परीक्षण न्यायालय ने न तो तनकीयात् कायम की तथा ना ही शहादत का परीक्षण करवाया।

परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनने का उल्लेख करते हुए वादग्रस्त भूमि लम्बे समय तक आराजीराज दर्ज होने के आधार पर अपीलांट का वादपत्र खारिज किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि के वादी के पक्ष में वादग्रस्त भूमि गैर खातेदारी दर्ज होने एवं वादग्रस्त भूमि की वैद्यता एवं कब्जे की सुरक्षा के अनुतोष के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की तथा काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद को प्रतिनिषिध बताकर खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 31—07—2019 को वादपत्र में नियमानुसार तनकीयात् कायम की गई तथा पत्रावली को वास्ते आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 04—09—2019 निर्धारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिनांक अर्थात 04—09—2019 को आदेशिका में ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया

राजस्व अपील अधि...
बीकानेर

गया। उक्त आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को तो स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के पिता की गैर खातेदारी भूमि दर्ज रही है तथा जिस पर प्रार्थी का कब्ज काश्त है। ऐसी स्थित में अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि उनके द्वारा कायम की गई तनकीयात् पर साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत तरीके से वादपत्र का निस्तारण करते। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा वाद के आज्ञापक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए मात्र सरसरी तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट काब्ज काश्त है अथवा नहीं? वादग्रस्त भूमि के चकबन्दी के उपरान्त वादग्रस्त भूमि मुरब्बा नम्बर 145/6 के बजाय मुरब्बा नम्बर 145/14 दर्ज कर गई है अथवा नहीं? यह सभी तथ्य साक्ष्य के मौहताज थे। अधीनस्थ न्यायालय को इस संबंध में सूची नम्बर चार व सूची नम्बर आठ के अवलोकन के पश्चात् तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात् विधि सम्मत निर्णय पारित करने के स्थान पर मात्र सरसरी तौर वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट को दावे को खारिज करने कानूनी त्रूटि कारित की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। दौराने वाद यदि अपीलांट को यदि वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया गया तो प्रकरण में अनावश्क पेचिदगियॉ उत्पन्न होगी। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12—10—2012 को वादी/प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई थी। ऐसी स्थिति में उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद के निर्णय तक पुष्ट किया जाता है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04—09—2019 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए वादपत्र के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पातिर करें।

9. निर्णय आज दिनांक 22—11—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामरतन सोंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.01.01 12:01:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: